<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1212

10 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

लोहे की छड़ों की गुणवत्ता

1212. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही कंपनियों द्वारा निर्मित लोहे की छड़ के नमूने प्रयोगशाला नमूना परीक्षण में विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ''प्रथम निर्माण परिषद'' की सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर गया है, जिसके अनुसार हालांकि ये कंपनियां उन लोहे की छड़ों की गुणवत्ता को बनाए रखती हैं जिन्हें प्रयोगशाला में जांचा जाता है, लेकिन फिर ब्रांड के शेष उत्पादों में खतरनाक मिलावट करते हैं;

(ग) यदि हां, तो दोषी कंपनियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है;

(घ) लोहे की छड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काउंसिल (एफसीसी) नामक एक संगठन द्वारा प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में देश में 26 टीएमटी बार ब्रांडों में से 18 नमूनों के गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर जांच में खरे नहीं उतरने की बात कही गई है।

बीआईएस ने एफसीसी से नमूनों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं, नमूनों के स्रोत, विनिर्माताओं के नाम आदि का ब्योरा देने का अनुरोध किया था। एफसीसी ने सूचित किया था कि नमूने दिल्ली के खुले बाजार से लिए गए थे और जांच श्रीराम इन्स्टीट्यूट फॉर इण्डस्ट्रियल रिसर्च (एसआईआईआर) दिल्ली द्वारा की गई थी।

एफसीसी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को विधिमान्य बनाने के लिए बी आई एस ने प्रयोगशाला अर्थात् एसआईआईआर से संपर्क किया और शेष नमूनों की पुनः जांच करने का अनुरोध किया। उक्त प्रयोगशाला से नमूनों की जांच करने संबंधी अनुरोध की प्रति देने तथा एफसीसी, मुम्बई द्वारा दिए गए नमूनों की घोषणा करने अर्थात् नमूनों के ग्रेड, आकार एवं ब्राण्ड की जानकारी देने का अनुरोध किया गया था।

बहरहाल, प्रयोगशाला ने यह सूचित किया था कि इसके लिए बुकिंग करने वाली पार्टी की सहमति अपेक्षित होगी। तब बीआईएस ने नमूनों के पुनः परीक्षण की सहमति देने हेतु एफसीसी से संपर्क किया। एफसीसी ने अपनी सहमति नहीं दी है।

(ग): बीआईएस को टीएमटी बारों की गुणवत्ता के संबंध में एफसीसी द्वारा दी गई रिपोर्ट में कोई ठोस तथ्य नहीं मिला।

(घ) और (ङ): इस्पात मंत्रालय ने टीएमटी बार स्टैण्डर्ड आईएस 1786 : 2008 सहित इस्पात व इस्पात के 66 उत्पादों के मामले में गुणवत्ता नियंत्रण को कार्यान्वित किया है। इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश स्वदेशी उत्पादों के साथ-साथ आयातित उत्पादों के मामले में भी लागू हैं। इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन से उद्योग तथा कुल मिलाकर आम जनता को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की प्राप्ति सुनिश्चित हो पाती है।

बीआईएस आईएस 1786 : 2008 के मानकों के अनुसार हाई स्ट्रेन्थ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स तथा वायर्स फॉर कंक्रीट रिइन्फोर्समेंट (जिन्हें टीएमटी बार्स भी कहा जाता है) पर बीआईएस स्टैण्डर्ड मार्क (आईएसआई मार्क) का इस्तेमाल करने हेतु लाइसैंसप्राप्त विनिर्माण इकाइयों के निष्पादन की समय-समय पर जांच निगरानी तथा फैक्ट्री और बाजार से लिए गए नमूनों के परीक्षण के माध्यम से करता है।

****